रजि€र्ड नं0 HP/13/SML-2008.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 29 सितम्बर, 2008 / 7 आश्वन, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

योजना विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी

अधिसूचना

शिमला-2, 25 सितम्बर, 2008

संख्याः पी०एल०जी०—(3)—2/2007 (पीएमओ).—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद—309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर, वर्ग—4 (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध—'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर, वर्ग-4 (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2008 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगें।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/— अरविन्द मैहता । हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर, वर्ग-4 (अराजपत्रित) के पद के लिए मर्ती और प्रोन्नित नियम।

- . पद का नाम.---फोटोस्टेट मशीन ऑपरेटर
- 2. पदों की संख्या.—1 (एक)
- 3. वर्गीकरण.—वर्ग- ४ (अराजपत्रित)
- -2820-100-3220-10-3660-120-4260-140-4400 전대 (विस्तृत रूप में अंकित करें) वेतनमान.-
- 5. चयन पद अथवा अचयन पद.---अचयन
- 6. सीधी भर्ती के लिए आयु. लागू नहीं ।
- सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.-7
- सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति -आयु : लागू नहीं । (व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही.-

शैक्षिक अर्हताए.—लागू नहीं ।

- लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश -दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.-6
- भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
- प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा की श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा.—वर्ग-4 कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार सेवा को सिमिलित करके छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो और जो फोटोस्टेट / जीरोक्स मशीन पर कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव रखते हों।
- प्रोन्नित के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्मरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्मरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे

ACOL

विरिष्ट समी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय किनेष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे : परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो,

सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किये अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगें । -अस्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1972 के नियम 3 के उपबंधों के अर्न्तगत भर्ती किया गया है और इनके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रुल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गए हों। स्पष्टीकरण.-

इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/ प्रोन्नित से पूर्व सम्मरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्निति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की (2)

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

- यदि विभागीय प्रोन्नि समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी कि सरकार समय-समय पर गिठत की जाए।
- भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा. -जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
- 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—लागू नहीं ।
- 15. सीधी मर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—लागू नहीं
- जातियों / अनुसूचित जन-जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की अनुसूचित 삼 समय-समय सरकार द्वारा, प्रदेश हिमाचल बावत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी। नियुक्ति, आरक्षण.--सेवा में 16.
- 17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं ।
- शिथिल करने की शावित. जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है या वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके उक्त आदेशों द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबंधों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।

[Authorised English text of this Department Notification No.PLG-A(3)-2/2007-(PMO) dated 25.9.2008 as required under clause (3) Article 348 of Constitution of India].

PLANNING DEPARTMENT

(Economics & Statistics)

NOTIFICATION

25th September, 2008

- No. PLG-A(3)-2/2007-(PMO).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India and the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Photostat Machine Operator, Class-IV (Non-Gazetted) in the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh, Photostat Machine Operator, Class-IV (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2008.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Arvind Mehta, Principal Secretary.

ANUBANDH "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PHOTOSTAT MACHINE OPERATOR, CLASS-IV (NON GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF ECONOMICS AND STATISTICS DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH

- 1. Name of the post.—Photostat Machine Operator
- 2. Number of posts.—1 (One)
- 3. Classification.—Class-IV (Non Gazetted)
- Scale of pay. 2820-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400.
 (Be given in expanded notation).
- 5. Whether Selection post or nonselection posts. Non Selection.
- 6. Age for direct recruitment.—Not applicable.
- 7. Minimum educational & other qualifications required for direct recruits.—Not applicable.
- 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee(s).—Age: Not applicable.

Education Qualification: Not applicable.

- 9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
- 10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% by promotion.
- 11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst the class-IV employees with six years regular or regular combined with continuous ad-hoc service in the grade and should possess three years working experience on the machine of Photostat / Xerox.
- 1. In all cases of promotion, the continuous ad-hoc service rendered in the feeder post, if any prior to regular appointment to the post shall be taken in to account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the ad-hoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provision of R&P Rules.

Provided that:-

In all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad-hoc basis followed by regular in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the recruitment and promotion Rules for the post, whichever is less,

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-Serviceman recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilized armed forces personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule -3 of Ex-Serviceman (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous ad-hoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the ad-hoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P rules:—

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, ad-hoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

- 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
- 13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
 - 14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.
 - 15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.
- 16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
 - 17. Departmental examination.—Not applicable.
- 18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and relax any of the provision(s) of these Rules with respect of any class or category of person(s) or post(s).